

11935
10-8-17

RTI Cell
9/8/17

ज० सू० अ० मामला/त्वरित

कार्यालय उपायुक्त पुलिस एवं जन सूचना अधिकारी,

कार्यालय पता - आठवा तल, एम०एस०ओ० बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं./चौबीस/29/विशेष/ID-4122/2017/

/ज०सू०अ० सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक

सेवा में,

समस्त जन सूचना अधिकारी,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली/नई दिल्ली

विषय: श्री जीशान हैदर, 32/454, ब्लाक-32, त्रिलोक पूरी, दिल्ली-110091 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए दाखिल आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) में स्थानान्तरित करने के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 03.08.17 जो कि श्री जीशान हैदर, 32/454, ब्लाक-32, त्रिलोक पूरी, दिल्ली-110091 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 07.08.17 को प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि इस पत्र की विषय वस्तु का संबंध आपके कार्यालय से है। इसलिए आवेदक के आर०टी०आई० आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के तहत आपको इस आशय से स्थानान्तरित की जा रही है कि आप अपने कार्यालय से सम्बंधित वांछित सूचना निर्धारित समय-अवधि के दौरान सीधे आवेदक को भेजने का कष्ट करेंगे। आवेदक ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित शुल्क 10/- रूपए वाया नकद/भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 38F 242023 of Rs.10/- के रूप में इस कार्यालय में जमा कर दिए हैं।

यदि वांछित सूचना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो कृपया आवेदक के आवेदन पत्र को सबसे निकटतम सम्बंधित जन सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित कर दे।

564/RTI/2017

10-8-2017

भवदीय,

[मीना नायडू]

सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फोन-23762616 एक्सट.30079

संलग्न-यथाउपरोक्त

सं./चौबीस/29/विशेष/ID-4122/2017/

/ज०सू०अ० सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. श्री जीशान हैदर, 32/454, ब्लाक-32, त्रिलोक पूरी, दिल्ली-110091 को सूचनार्थ व यदि आपको उपरोक्त जन सूचना अधिकारी से 30 दिन की समय-अवधि के अन्दर जवाब नहीं मिलता या आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो कृपया अपनी प्रथम अपील उसके प्रथम अपीलीय अधिकारी के सम्मुख दायर करें

2. लेखाकार/पुलिस मुख्यालय को भारतीय पोस्टल ऑर्डर उपरोक्त मूल्य 10/- के सहित सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Copy to - (1) HAG.

[मीना नायडू]

सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फोन-23762616 एक्सट.30079

सेवा में

जब सूचना अधिकारी

दिल्ली पुलिस मुख्यालय एम. एस. ओ, गान्धन
बाई दिल्ली-110002

विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
आवेदन।

(1) दिल्ली पुलिस के सभी जिला व इकाइयों में किस पद तक के पुलिस व अधिकारी को सरकारी सोसाइटी की सेवा उपलब्ध है? तथा किस पद तक के अधिकारी को सरकारी सोसाइटी के लिए साहवार कितनी शक्ति दी जाती है? या कितनी शक्ति तक की साहवार सोसाइटी के लिए शर्तों पर सकते हैं गिरफ्तार से लेकर पुलिस अधिनियम तक की भीतर बताई जाएगी।

(2) जनवरी 2013 से 30 जुलाई 2017 तक सोसाइटी के रिजार्ड पर कितनी शक्ति शर्तों की गई सुगी इकाइयों को वर्षवार विस्तार पूर्वक ज्ञात दिया जाएगा।

(3) जनवरी 2013 से 30 जुलाई तक कितने नए सरकारी शर्तों पर और कितनी शर्तों के किस कंपनी के शर्तों पर पुलिस के अधिकार ज्ञात किया जाएगा।

(4) जनवरी 2013 से 30 जुलाई 2017 तक सशस्त्र इकाइयों में कितने सरकारी सोसाइटी शर्तों पर

तथा अकाउंट बने इसका वर्षवार विस्तार पूर्वक क्वीर
 दिया जाए

(5) जनवरी 2012 से 30 जुलाई 2017 तक दिल्ली पुलिस
 की सभी अकाउंटों में अधिकारियों के सरकारी सौकाइल
 पर अकाउंट पर कितनी शी शी 2017 तक इसका विस्तार पूर्वक क्वीर
 दिया जाए

(6) दिल्ली पुलिस के सरकारी सौकाइल में इंटर गैर
 इस्तेमाल के लिए साहवार कितनी शी शी की जाती है
 तथा कितनी शी तक का इंटर गैर इस्तेमाल कर
 शी शी से लेकर पुलिस आयुक्त तक की
 लिए वाता दिया जाए

(7) जनवरी 2012 से 30 जुलाई 2017 तक सभी अकाउंटों
 में सरकारी सौकाइल में इंटर गैर पर
 कितनी शी शी की गई इसका वर्षवार विस्तार
 पूर्वक क्वीर दिया जाए

आइए आइए का जवाब राजा आदि नियम 2000 के तहत
 दिनी वाता दी जाए